रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 202] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 16, 1985/आश्विन 24, 1907
No. 202] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 16, 1985/ASVINA 24, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार निदेशालय

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 1985

सार्वजनिक सूचना सं० 33—ई टी सी (पी एन)/85

विषय —गेहूं का भूसा (मुख तिनके) की निर्यात नीति।

फाइल सं० 43/1/85-ई-2 —उपर्युक्त विषय पर निर्यात (नियंत्रण) संशोधन आदेश सं० नि०(नि०) आ०, 1977 दि०म/(315), दिनांक 16 अक्तूबर, 1985 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. यह निश्चय किया गया है कि सीमित मद के अंतर्गत 'पहले आए पहले पाए' के आधार पर 1985-86 वित्तीय वर्ष के दौरान सदृश आधार पर गेहूं के भूसे (मुख तिनके) का निर्यात अनुमेय होगा और इसकी अधिप्राप्ति केवल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में की जायगी।

3. तदनुसार, आयात एवं निर्यात नीति 1985—88 (खंड-2) के पृष्ठ 18 में नीति विवरण की वर्तमान क्रम सं० 41(6) के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जायेगी :—

अनुसूची-1 के भाग ख के अनुसार क्रम सं	मद का विवरण	लाइसेंसिंग नीति
क्रम सं० 41(7)	गेहू का भूसा (सूखे तिनके)	निर्यात 'पहले आए सो पहले पाए' के आधार पर सीमित सीमा के अन्तर्गत अनुमेय होगा।

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 16th October, 1985

PUBLIC NOTICE NO. 33-ETC(PN)/85

Sub : Export policy of Wheat Straw (Hay).

File No. 43/1/85/E-II :—Attention is invited to the Export (Control) Amendment Order No. E(C)O, 1977/AM (315) dated 16th October, 1985 on the above subject.

2. It has been decided to allow export of Wheat Straw (Hay) on ad-hoc basis during the licensing year 1985-86 on first-come, first-served basis, within a limited ceiling, and shall be procured from Punjab, Haryana, and Delhi only.

3. Accordingly, after the existing serial number 41 (vi) of Policy Statement in page 18 of Import and Export Policy 1985—88 (Vol. II) the following entry shall be added :—

S. No. as in Part 'B' of Schedule I	Description of the item	Licensing Policy
S. No. 41 (vii)	Wheat Straw (Hay)	Export will be allowed within a limited ceiling on first-come, first served basis.

R.L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NLW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985